International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(II), October - December, 2024, pp. 195-204

रोजगार का अधिकार और भारतीय संविधान

डॉ. राजेश बोहरा*
प्रदीप परिहार**

सार

रोजगार किसी भी देश और समाज के आर्थिक विकास की कुंजी है, जिस गति से रोजगार पाने वालों की संख्या और आमदनी में बढोतरी होती है, उसी गति से देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है, यह सच्चाई स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गांधीजी ने पहचान ली थी और उन्होनें 'ग्राम–स्वराज' का नारा दिया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास सार्थक काम और अपने आप में आत्मनिर्भर गांव की कल्पना की गई थी। मानव सम्मान के साथ जीवन जीने एवं जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को सक्षम बनाने हेतू रोजगार का अधिकार अति आवश्यक है, इसके अभाव में दूसरे मानवाधिकारों की महत्वता गौण हो जाती है। इस प्रकार का अधिकार भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हो जाता है, जो स्वयं के लोककल्याणकारी राज्य होने की घोषणा संविधान में करता है। इस पृष्ठभूमि में यह आलेख मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से रोजगार के अधिकार की अवधारणा और भारतीय संविधान में वर्णित इनसे संबंधित प्रावधानों का वर्णन करते हुए भारतीय न्यायपालिका द्वारा भारत में मौजूदा कानूनी प्रणाली के भीतर रोजगार के अधिकार की न्यायशास्त्रीय और संवैधानिक जांच करने का भी प्रयास करता है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतू प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

शब्दकोशः *रोजगार, विकास, मानवाधिकार, लोकतंत्र, भारतीय संविधान।*

प्रस्तावना

रोजगार सृजन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख आधार है। देश में उपलब्ध जन शक्ति को उसकी योग्यताओं एवं दक्षताओं के आधार पर उचित काम मिले और उसके प्रतिफलस्वरूप उसे सन्तोषजनक पारिश्रमिक या मजदूरी प्राप्त हो तो देश के विकास का ग्राफ सदैव ऊपर ही उठता है। इस प्रकार की सच्चाई को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही पहचान कर लिया गया था। और उन्होने 'ग्राम–स्वराज' का नारा दिया था जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास सार्थक काम और अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में गांव की कल्पना की गई थी।[1]

* सहायक आचार्य (लोकप्रशासन), श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सुरजराज रूपादेवी महिला महाविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी लोकप्रशासन विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान।

भारत एक कृषि प्रधान विकासशील राष्ट्र है। विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्रो की मुख्य समस्या भी गरीबी एवं बेरोजगारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी गरीबी एवं बेरोजगारी भारत सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां थी। सरकार द्वारा इस समस्याओं के समाधान हेतू रोजगार सृजन की अवधारणा को अपनाते हुए निजी एवं सार्वजनिक उद्यमो में सह अस्तित्व को मान्यता देते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसके लिए सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना मार्च, 1950 में देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए की गई थी।[2] योजना आयोग द्वारा ही नियोजित विकास की अवधारणा को अपनाते हुए देश में गरीबी व बेरोजगारी की समस्या के निराकरण हेतू पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया, इन पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत ही भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीबी उन्मुलन एवं रोजगार सृजन की योजनाओं एवं कार्यक्रमो को लागू किया गया थां उसमें मुख्य रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1978), काम के बदले अनाज (1977), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980), जवाहर रोजगार योजना (1989), रोजगार आश्वासन योजना (1993), स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), सम्पूर्ण ग्रामीण राजगार योजना (2001), काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना (2004), आदि प्रमुख थी। उपरोक्त योजनाओं की लोकप्रियता के बावूजद ये सभी अपने प्राथमिक लक्ष्यों एवं उदेश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया असफल रही थी, जिसके मुख्य कारणों में आपसी समन्वय का अभाव, अधिकार आधारित रोजगार गांरटी का न होना, योजनाओं के क्रियान्वयन में कानूनी बाध्यता का अभाव, पूर्ति आधारित प्रकृति, अपर्याप्त वितीय आवंटन, भ्रष्टाचार एवं जन जागरूकता का अभाव आदि सभी प्रमुख थे।[3] इस प्रकार सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने के उन विभिन्न प्रयासों के बावजूद गरीबी व बेरोजगारी के स्तर में विशेष परिवर्तन देखने को नही मिला। अतः भारत सरकार द्वारा रोजगार को एक अधिकार के रूप में व्यवस्थित प्रयास करने की आवश्यकता महसूस हुई। यद्यपि राज्य स्तर पर 1972–1973 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा रोजगार गांरटी योजना प्रारम्भ की गई थी यह सम्पूर्ण भारत में अपने प्रकार की प्रथम योजना थी, जिसमें संविधान के अन्तर्गत दिये गये 'रोजगार या काम के अधिकार' को स्वीकार किया गया। इसके अधीन यदि कोई व्यक्ति काम की मांग करता है तो राज्य सरकार का यह वैधानिक दायित्व था कि वह उसे रोजगार उपलब्ध करवाएं।[4]

रोजगार के अधिकार की अवधारणा

रोजगार या काम का अधिकार यह अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने या उत्पादक रोजगार में संलग्न होने का सार्वभौमिक मानवाधिकार प्राप्त है, अतः इसे किसी भी स्थिति में रोजगार प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है। रोजगार का अधिकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास पर मुख्य रूप से जोर देता है, जिससे व्यक्ति के जीवन को गरिमायुक्त जीने के सम्बन्धित प्रावधानों को पर्याप्त रूप में प्राप्त किया जा सके। रोजगार का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त जीवन स्तर प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए स्थापित किया गया है।[5] विश्व मे सर्वप्रथम 'काम करने के अधिकार' वाक्यांश का प्रयोग एक फ्रांसीसी समाजवादी नेता लुईस ब्लैंक द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ के दौर में सामाजिक उथल–पुथल और 1846 के फ्रांसीसी वितीय संकट में मद्देनजर बढती बेरोजगारी के संदर्भ में प्रयोग किया गया था। जिसके कारण 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी।[6] रोजगार के अधिकार को सोवियत संघ के संविधान में नागरिको के मौलिक अधिकारों के रूप में भी प्रतिष्ठापित किया गया था। हूमन राइट्स मेजरमेंट इनिशिएटिव दुनिया भर के देशो के लिए उनके आय के स्तर में आधार पर काम करने के अधिकार को मापता है।[7]

रोजगार के अधिकार की अवधारणा को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के अन्तर्गत भी मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणापत्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को घोषित किया गया, एक विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है जिसमें मानव के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अनुच्छेद – 23 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के साधन चुनने, काम की उचित एवं अनुकूल परिस्थतियों प्राप्त करने

और बेरोजगारी से सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त है प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम के लिए समय वेतन पाने का अधिकार प्राप्त है।[8]

इसी के अन्तर्गत अनुच्छेद–25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन स्तर बनाने का अधिकार है, जो उसके और परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए पर्याप्त हो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के भाग III के अनुच्छेद–6 के अन्तर्गत कहा गया है कि वर्तमान समझौते के पक्षकार राज्य काम करने के अधिकार को मान्यता देते है, जिसमें हर किसी को अपनी आजीविका अर्जित करने का अधिकार शामिल है जिसे वह स्वतंत्र रूप से चुनता है या स्वीकार करता है और इस अधिकार की रक्षा के लिए आश्वयक कदम उठाएगा।[9]

मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर भी श्रम अधिकारों की शर्तों एवं वेतन को मान्यता प्रदान करता है, इसका अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान और संतोषजनक परिस्थितियों में काम करने का अधिकार होगा और समान काम के लिए वेतन प्राप्त होगा।[10] जीवन को रहने योग्य बनाने वाले कारकों को छोड़ दे तो यह आर्थिक जगत का व्यावहारिक सत्य है कि जीने के लिए जीविकोपार्जन करना आवश्यक है, दूसरे शब्दों में पर्याप्त जीवन स्तर बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।

रोजगार के अधिकार की मुख्यः विशेषताएं निम्नलिखित है–

- **समान कार्य के लिए समान वेतन** – यह रोजगार के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इसके अभाव में रोजगार के अधिकार का कोई अर्थ न ही रह जाता है, इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के लाभों जैसे– वेतन, बोनस, भत्ते आदि को शामिल किया जा सकता है, इसमें एक कर्मचारी को उसके बिना जाति और लिंग का भेदभाव किए प्रत्येक कार्य के लिए समान वेतन इसका आवश्यक भाग है।
- **जीवन जीने के पर्याप्त स्तर का अधिकार** – रोजगार का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बुनियादी आवश्यकताओं जैसे–भोजन, कपड़ा मकान एवं अन्य सभी आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने की आवश्यक गारंटी देता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व है।
- **श्रम कानून** – श्रम कानून श्रमिको के रोजगार के अधिकार के संरक्षण हेतू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है, यह कानून सुनिश्चित करते है कि श्रमिको का किसी भी रूप में शोषण नही हो तथा उनको बिना समरूसा के उचित संरक्षण प्राप्त हो।
- **उचित पारिश्रमिक** – रोजगार का अधिकार प्रत्येक श्रमिक को अपने काम के बदले उचित न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त करने का भी अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार रोजगार का अधिकार उपर्युक्त सभी विशेषताओं के द्वारा ही पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर सकता है।

जीवन की मूलभूत तथा बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास की पूर्ति के लिए रोजगार का प्राप्त करना आवश्यक शर्त है। इस प्रकार 'रोजगार का अधिकार' व्यक्ति को जीवन जीने योग्य सक्षम बनाने के लिए आवश्यक तत्व है।[11]

भारतीय संविधान एवं रोजगार का अधिकार

भारतीय संविधान भारत की स्वतंत्रता पश्चात निर्मित राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है, जिसमें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उचित प्रयास करे। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे 'संविधान का दर्शन या आत्मा' भी कहा जाता है, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने की बात भी इसी परिपेक्ष्य में की गई है। अतः इस प्रकार के प्रावधानो को मूर्त रूप प्रदान करते के लिए भारतीय संविधाान के भाग 3 व 4 अनुच्छेद (12–51) जो क्रमशः मौलिक अधिकार एवं नीति–निर्देशक तत्वो से सम्बन्धित है, इसके अन्तर्गत

राज्य के प्रमुख दायित्वों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में तथा रोजगार के अधिकार की पूर्णता प्राप्ति की दिशा में अनेक प्रावधान किये गये है।[12]

यद्यपि भारतीय संविधान 'रोजगार के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है, फिर भी भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में रोजगार के अधिकार को अवसर के रूप में कानूनी रूप से मौलिक अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत स्थान प्रदान किया गया है, जिसको समय–समय पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक अभिनिर्णयों एवं निर्वचनों के माध्यम से व्याख्यापित किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं नीति–निर्देशक तत्व मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषण (1948) की भावना से पूर्णरूप से प्रेरित है एवं उनके प्रमुख प्रावधानों को इसमें हुबहू शामिल किया गया है। जो सुयंक्त राष्ट संघ द्वारा घोषित एक प्रमुख वैश्विक वैधानिक पत्र है। यह प्रावधान रोजगार के अधिकार को वास्तविकता प्रदान करने के लिए कानूनी मान्यता भी देते है। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनमें रोजगार के अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन निम्न लिखित है।[13]

भारतीय संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में प्रदत समता के अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद–16 यह उपबन्धित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगीं खण्ड (2) यह कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यह प्रावधान रोजगार के अधिकार के लिए सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान करता है।[14]

अनुच्छेद–19 भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद स्वतत्रंता के अधिकार से सम्बन्धित है इसके अनुछेद 19(1)(छ) भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार रोजगार सृजन करने के लिए अपनी आजीविका के साधनों को चुनने में पूर्ण रूप से स्वंतत्र होता है।

स्वतंत्रता के अधिकारों के अन्तर्गत ही अनुच्छेद–21 जो यह उपबान्धित करता है कि ''किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंछित किया जाएगा अन्यथा नही।'' प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी मौलिक अधिकारों में श्रेष्ठ है और अनुच्छेद–21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।[15]

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेंद–21 को एक नया आयाम प्रदान किया गया है और उसके क्षेत्र को अत्यन्त विस्तृत कर दिया। इसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्राण व जीवन का अधिकार व्यक्ति के केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित है बल्कि इसमें मानव – गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकर भी सम्मिलित है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो अपना जीवन गरिमा युक्त जीने के लिए जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।[16]

उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आवश्यक नही है कि किसी अधिकार का उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया जाये तभी वह मूल अधिकार की श्रेणी में आएगा, यदि किसी अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है तो वह मूल अधिकार होगा, भले ही उसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया हो, उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू है।[17]

- **'मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार –** फ्रेंन्सिस कारेली बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद–21 के अधीन 'प्राण' (life) शब्द से तात्पर्य पशुवत जीवन से नही बल्कि मानव–जीवन से है। इसका भौतिक अस्तित्व ही न हीं आध्यात्मिक अस्तित्व भी है, 'प्राण' का अधिकार शरीर के अंगो की

संरक्षा तक ही सीमित नहीं है, जिससे जीवन का आनन्द मिलता है या आत्मा बाह्य जीवन से सम्पर्क स्थापित करती है वरन इसमें ''मानव गरिमा के साथ जीने'' का अधिकार भी सम्मिलित है जो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है।[18]

इसी प्रकार पीपुल्स युनियन फॉर डेमाक्रेटिक राइटस बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है। एशियाड़ खेलों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिको को न्यूनतम मजदुरी का भुगतान न करना अनुच्छेद–21 द्वारा प्रदत्त उनके मानव गरिमा के साथ जीविकोपार्जन के अधिकार का उल्लघंन करना है।[19]

- **जीविकोपार्जन का अधिकार –** ओलेगा तेलिस बनाम बोम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित कर दिया कि 'जीविकोपार्जन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार है, किन्तु यह निर्णय दिया कि वह एक आत्यान्तिक अधिकार नही है, इस पर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए युक्ति युक्त निर्बन्धन लगाए जा सकते है।[20]

दिल्ली प्रशासन के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 'प्राण के अधिकार में 'जीविकोपार्जन का अधिकार' भी आता है। अतः काम का अधिकार भी इसमें शामिल है, किन्तु अभी भारतीय संविधान में 'काम के अधिकार' को मूल अधिकार के रूप में समाविष्ट करना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि अभी हमारा देश इसे गारन्टी प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता है, इसीलिए इसे अनुच्छेद–41 के अधीन नीति–निर्देशक तत्वों में रखा गया है।[21]

- **अनुच्छेद–23 –** मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत 'शोषण के विरूद्ध अधिकार' में मानव दुर्व्यापार और बलातश्रम निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलातश्रम को प्रतिषिद्ध करता है, यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि इस उपबन्ध का कोई उल्लघंन उपराध होगा, और विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। इसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी ईच्छानुरूप ही पर्याप्त मजदूरी के प्राप्त करने के आधार पर ही किसी रोजगार से सम्बन्धित कार्यों में शामिल हो सकता है। इसके खण्ड (2) में उक्त नियम का एक अपवाद है जिसके अनुसार राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनो के अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है।[22]

इसी प्रकार से भारतीय संविधान में रोजगार या जीविकापार्जन के अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान भाग III मौलिक अधिकारों के साथ–साथ भाग –IV जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है (अनुच्छेद 36–51) तक के अन्तर्गत भी किये गये है, इन नीति निर्देशक तत्वों में वे उदेश्य एवं कर्तव्य है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित 'लोक–कल्याण कारी' एवं 'समाजवादी राज्य' की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि सरकार अपनी आर्थिक क्षमतानुसार नीति–निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयास करे। इनमें वे आदर्श निहित है जिनको सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखेगी।[23]

इन नीति–निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत सामाजिक व आर्थिक न्याय से सम्बन्धित अनुच्छेद–38 जो राज्य को यह निर्देश देता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे जिनमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। ये वह ही निर्देश है जो संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्निहित है जिनके अनुसार राज्य का कर्तव्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। 44 वे संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खण्ड (2) जोड़कर यह उपबन्धित किया गया कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगो के समूहो के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जीविकोपार्जन के साधन यथा सम्भव उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश प्रदान करता है।[24]

इस प्रकार आर्थिक न्याय प्राप्त करने हेतु अनुच्छेद–39 राज्य को विशेषतया अपनी नीति एवं कानूनों का इस प्रकार से संचालन करने का निर्देश देता है जिससे सभी पुरूषों एवं स्त्रियों सभी नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो एवं आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केन्द्रक न हो एवं पुरूषो एवं स्त्रियों दोनो के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिशचित हो सके।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तत्वों के अन्तर्गत कुछ अवस्थाओं में काम पाने के अधिकार से सम्बन्धित अनुच्छेद–41 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने तथा बेरोजगारी सम्बन्धी अन्य अभाव की दशाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक सहयता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।[25]

इस अनुच्छेद के उदेश्यों की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) को 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था और इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अधिकार की गांरटी देने वाला प्रथम कानून बना, इसका प्राथमिक उदेश्य मजदूरी रोजगार को बढाकर लोगो की आजीविका को सुरक्षित करना था। यह विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गांरटी कार्यक्रम हैं।[26]

अनुच्छेद–42 राज्य को कार्य की न्याससंगत एवम नावोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश देता है। इसी प्रकार अनुच्छेद–43 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह कर्मकारों को जीवन निर्वाह मजदूरी तथा शिष्ट जीवन स्तर और उसका सम्पूर्ण उपभोग सुनिशचित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं उनके जीविकापार्जन के महत्वपूर्ण अधिकार की सुरक्षा सुनिशचित हो सके।

इस प्रकार भारतीय संविधान में अन्तर्निहित कुछ प्रावधानों में रोजगार या जीविकोपार्जन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किये गये। यद्यपि अभी भी रोजगार के अधिकार को भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों में पूर्ण रूप से स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी यह अनुच्छेद –21 के अन्तर्गत प्रदत जीवन या दैहिक स्वंतत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप मे सम्मिलित है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये अपने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों एवं व्याख्याओं के अन्तर्गत इसको अनुच्छेद–21 का ही भाग माना गया है। उसके बाद भारतीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके जीवन के अधिकार से वांछित होने से बचाने के लिए कानूनी प्रतिबंधो के अधीन उनके पंसद के रोजगार में नियोजित होने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार यह अधिकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को रोजगार से हटाने या किसी व्यक्ति को रोजगार से वंछित करने से रोकता है।

वर्तमान समय में रोजगार की स्थिति

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व एवं भारत जैसी तीसरी दुनिया के सभी विकासशील देश कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी की दोहरी मार से गुजर रहे है। विकासशील देशों में तो कोरोना से पूर्व भी अनेक परिस्थतियों के कारण बेरोजगारी की समस्या विद्यमान थी। कोरोना वायरस जैसी भंयकर वैश्विक महामारी ने इसमें आग में घी डालने जैसा किया किया है, भारत में बेरोजगारी कोरोना से भी बड़ी महामारी बनती जा रही है, अतः सरकार को इसके लिए शीघ्र ही उचित कदम उठाने की आवश्यकता होग। भारत में स्वंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विभाजन के बाद महामारी के कारण बेरोजगार श्रमिको का इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है।

भारत जैसे विकासशील देशो के सामने आबादी और बेरोजगारी बड़ी चुनौती है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारो की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गयी है। इसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। भारत में युवा कार्यबल की बड़ी संख्या जनसांख्यिकीय लाभांश है, लेकिन आई एल ओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनमे सफल हाने के लिए आवश्यक कौशल नही है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा मार्च 2024 को जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के बेरोजगार कार्यबल में

युवाओ की हिस्सेदारी लगभग 83% है, और कुल बेरोजगार युवाओ में माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओ की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर 2022 में 65.7% हो गयी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2000 और 2019 के बीच युवा रोजगार और अल्परोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आई। साथ ही उन्होने कहा कि इस अवधि के दौरान शिक्षित युवाओं ने देश में बेरोजगारी के बहुत अधिक स्तर का अनुभव किया है।[27]

रिपोर्ट में कहा गया है कि गुणवतापूर्ण रोजगार अवसरों की कमी युवा लोगों में बेरोजगारी के उच्च स्तर में परिलक्षित होती है, खासकर उन लोगो में जिन्होने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अध्ययन में कहा गया है कि बहुत से उच्च शिक्षित युवा कम वेतन वाली, असुरक्षित नौकरियो को लेने के लिए तैयार नहीं है जो वर्तमान में उपलब्ध है। और भविष्य में बेहतर रोजगार पाने की उम्मीद में इंतजार करना पंसद करते है। देश श्रम बाजार में पर्याप्त लिंग अंतर की चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें महिला श्रम बल भागीदर की दर बहुत कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा महिलाओं खासकर जो उच्च शिक्षित है के बीच बेरोजगारी की चुनौती बहुत बड़ी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी अपनी रिपोर्टों के अन्तर्गत बेरोजगारी एवं रोजगारी से सम्बन्धित आंकड़ों के सम्बन्ध में सटिकता का अभाव पाया जाता है। बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी है जो विकासशील देशों के लिए अभिशाप के समान है, कोरोना के बाद से सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी लेकिन भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विभिन्न तत्कालिक उपायों द्वारा मजबूत बनाने के प्रयास किए एवं कुछ सीमा तक उसका परिणाम सफल भी रहा है, परन्तु इन उपायों का बेरोजगारी पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, उल्टा बेरोजगारी दर दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। नवीनतम आंकड़ो के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अप्रेल 2022 में 7.83 प्रतिशत थी जो मार्च के मुकाबले 0.23 प्रतिशत अधिक है।

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसकी परिकल्पना भारतीय संविधान में की गई है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना उसका एक प्राथमिक उदेश्य है, इसके अन्तर्गत ही भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एवं विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से नियोजनीयता में सुधार करते हुए बेरोजगारी को कम करने एवं रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे, जो कुछ सुधार एवं परिवर्तन के साथ यह वर्तमान समय में भी जारी है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना प्रत्येक सरकारों की प्राथमिकता रही है, इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए बनाई गई विभिन्न दीर्घकालिक योजनाए। कार्यक्रम। नीतियां शामिल है, फिर भी इनका प्रभावी क्रियान्वयन रोजगार के अधिकार की अवधारणा की वास्तविकता को लागू करने में विफल रहा है। कुछ प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं योजनाएं निम्नलिखित है–[28]

- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना :–** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभो के साथ–साथ नए रोजगार सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने एवं कोविड–19 महामारी के दौरान कम हुए रोजगारों की पूर्ति के लिए इस योजना को 01 अक्टूबर 2020 को प्रारम्भ किया गया।
- **प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना :–** नए रोजगार के सृजन को बढावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से 01.04.2016 को यह योजना श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों अर्थात 31 मार्च 2022 तक लाभ प्राप्त होगा।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MANREGA) :–** भारत में रोजगार के अधिकार की कानूनी गांरटी प्रदान करने वाली मनरेगा प्रथम योजना है, जिसे भारतीय संसद में एक अधिनियम के रूप में 2005 में पारित कराया गया था, तत्पश्चात इसे 02 फरवरी 2006 से लागू किया गया। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण परिवारों के उन सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक

श्रम करना चाहते है, को एक वितीय वर्ष में 100 दिनों का गांरटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। इस योजना द्वारा रोजगार या काम के अधिकार को प्राप्त करने दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता हैं।

- **गरीब कल्याण रोजगार अभियानः–** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह प्रारम्भ यह एक 125 दिवसीय अभियान है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून 2020 को शुरू किया गया था, इसके लिए 50,000 करोड़ रूपये के संसाधन पैकेज के साथ 6 राज्यों के 116 चयनित जिलो में 25 कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, गावों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण करके तथा आय सृजन गतिविधियों को बढावा देकर एवं दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढाने के लिए आजीविका संपति के निर्माण द्वारा संकटग्रस्त लोगो को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने की बहुआयामी रणनीति के माध्यम से कोविड–19 महामारी से लौटे प्रवासी श्रमिकों और इसी तरह से प्रभावित ग्रामीण आबादी के मामलो का निपटान करना था।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनः–** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 सितम्बर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के रूप में प्रारम्भ। यह इसका ही एक भाग है। इसका उदेश्य ग्रामीण युवाओं की कैरियर आंकाक्षाओं को पूरा करते हुए ग्रामीण गरीब परिवारो की आय में विविधता लाना है।
- **ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानः–** यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राज्य सरकारों और प्रायोजको बैंक के बीच एक तीन तरफा साझेदारी है। इसके अन्तर्गत बैको द्वारा ग्रामीण युवओ को स्वरोजगार/उधमिता उपक्रम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपने प्रमुख जिले में कम से कम एक ऐसा संस्थान खोलता है।
- **पीएम–स्वनिधि योजना–** आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ प्रधानमंत्री स्टीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना का उदेश्य शहरी क्षेत्रों में उन स्ट्रीट बेडरों को जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना था जो कि कोविड–19 के चलते लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए उन व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 01 जून 2020 से शुरू की गई है।
- **दीनदयाल अन्त्योदय योजना (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)–** आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा यह मिशन शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुचंने से सक्षम बनाकर, उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए लाया गया ताकि गरीबों के जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के मध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हो। इस मिशन का उदेश्य शहरी बेघरों को चरण बद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं सहित आश्रय प्रदान करना है इसके अलावा मिशन शहरी बेरोजगारो को उपर्युक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल तक पहुंच की सुविधा देकर उनकी आजीविका संबंधी समस्याओं का भी निपटान करेगा ताकि नए बाजारों अवसरों तक उनकी पहुंच हो।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–** सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड आर्थिक सहायता कार्यक्रम है इसका उदेश्य गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उधम स्थापित करके परम्परागत शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं हेतु स्व–रोजगार के अवसर सृजित करके उनकी सहायता करना है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना–** कौशल विकास एवं उधमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ यह भारत सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना है, जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, इस योजना का उदेश्य, युवाओं को उद्योग संबन्धी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनके रोजगार तथा स्वरोजगार की आवश्यकता को पर्ण करने में सहायता करेगी।[29]

उपर्युक्त वर्णित विभिन्न प्रकार की योजनाएं वर्तमान समय में पूर्ण रूप से प्रचलन में है, इससे पूर्व भी भारत सरकार एवं उनके राज्यों की सरकारो द्वारा विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं नीतियां प्रारम्भ किये थे, वर्तमान समय में भी अनेक राज्य सरकारें द्वारा ग्रामीण एवं शहरी रोजगार की गांरटी से सम्बन्धित अनके प्रकार की महत्पूर्ण योजनाएं कार्य कर रही है जो भारत की जन संख्या के काफी बड़े भाग को रोजगार प्रदान कर रही है। भारतीय संसद में रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार बनाने और संविधान में संशोधन करने के लिए तीर बार निजी बिल रखे जा चुके है, क्रमशः वर्ष 1989, 12 मार्च 1990 और 16 जुलाई 1996 में, 1989 में पहली बार श्री अमर राय प्रधान द्वारा रखा गया। 16 जुलाई 1996 को एक प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में जार्ज फर्नाडीड ने 'राइट टू वर्क' बिल सदन पटल पर रखा, लेकिन इस बारभी यह बिल सदन में पेश नही हो सका था।[30]

निष्कर्ष

अतः इस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों के मदेनजर सरकार द्वारा रोजगार के अवसरो को अधिक से अधिक सृजन करकें देश में बेरोजगारी के आंकड़ो को कम करने का प्रयास किया जा रहा है फिर भी रोजगार के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए अपनी सरकार को अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है विशेष रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुरूप एवं आवश्यकतानुसार रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना एक मुश्किल कार्य है, इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के हितग्रहियों से सलाह लेकर इस प्रकार निर्णयों को नीतिगत कानूनो के रूप में बदलने के लिए एक लम्बी यात्रा के दौर से गुजरना होगा, जिससे नागरिको के 'रोजगार के अधिकारी' की उपलबध्ता अधिकारिक रूप में सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार के महत्वपूर्ण एवं दृढ नीति गत निर्णयों के लिए अन्तिम रूप से सरकार की राजनैतिक इच्छा एवं राजकोषीय संसाध्न भी अपनी महत्पूर्ण भूमिका रखते है, इनके बिना इस ओर एक कदम भी आगे नहीं बढाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भारत ने एक लम्बी यात्रा तय की है तथा इस विषय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नरेन्द्र सिंह तोमर (2020): बेहतर हुआ है ग्रामीण रोजगार का परिदृश्य, कुरूक्षेत्र, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अप्रैल, पृष्ठ संख्या 5–6।
2. सेन, अमर्त्य और द्रेज ज्यां (2019): भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नम्बर, 205–207।
3. प्रदीप कुमार (2024): ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा की भूमिका, आई ओ एस आर, जर्नल ऑफ हमनिटीज एण्ड सोशल साइसं, वोल्यूम 29, फरवरी 2024 (6977)।
4. काम्बले टी. उत्त्मचन्द (2011) : इम्पेक्ट ऑफ इन्क्रिज इन वेज रेट इन एम्पलायमेंट गांरटी स्कीम, तुर्किश जनरल ऑफ क्वालिटिजी इन्कयावरी, वॉल्यूम 12, अगस्त 2021: 7573–7577।
5. आपको काम अधिकार है! (2011): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली, भारत, पृष्ठ संख्या 1–2।
6. रॉबर्टसन, प्रिसिला स्मिथ (1952): 1848 की क्रांतियां: एक सामाजिक इतिहास, प्रिसटंन यूनिवरसिटी प्रेस। पृ. 69 ISBN:97806910007564 काम का अधिकार।
7. 'काम करने का अधिकार एच आर एम आई राइटस ट्रेकर' Rightstracker.org 2022.
8. ''मानव अधिकारो की सार्वभौमिकता घोषणा'': एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट मानवाधिकार आयोग। मुख्य पृष्ठ संख्या 2–7 । unhrc.org.in।
9. ''आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो पर अंतराष्ट्रीय वार्ता'': संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, 1966 मुख्य पृष्ठ 1–5।

10. ''मानव और लोगो के अधिकारो पर अफ्रीकी चार्टर'' :www. achpr. org. 2018
11. आपको काम का अधिकार है। (2011): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली, भारत, पृष्ठ संख्या 3–4।
12. सुभाष कश्यप (2007): ''हमारा संविधान'' नेशनल बुक ट्रस्ट भारत, पृष्ठ संख्या 24, 25–43।
13. पाण्डेय, डा. जय नारायण (2022) : ''भारत का संविधान : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, प्रयागराज इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 167।
14. थॉमस, टेसी ऐनी (2018) राइट टू वर्क अंडर द इंडियन कॉन्सटिट्यूसन, https://blog-ipleaders.in।
15. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण (2022): ''भारत का संविधानः सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, प्रयागराज, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 287।
16. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या – 290।
17. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या– 291।
18. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या–298।
19. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या–299।
20. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या–299।
21. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या–300।
22. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण (2022) : ''भारत का संविधान'' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, प्रयाग राज इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या – 396।
23. जैन, एम.पी. : कॉन्सटिट्युशनल लॉ ऑफ इण्डिया (दूसरा संस्करण 1970): पृष्ठ 669।
24. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण (2022): ''भारत का संविधानः सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, प्रयागराज, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 481।
25. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या–484, 485।
26. सोनी, सेजल (2023) : मनरेगा का ग्रामीण विकास पर प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एज्यूकेशन, मार्डन मैनेजमेंट, एप्लाइड साइन्स एण्ड सोशल साइंस, ISSN: 2581 -9925, Volume 05, No.1, Jan-March 2023, पेज नं. 79–82
27. भारत में रोजगार की स्थिति गंभीरः आई एल ओ रिपोर्ट (2024): द हिन्दू, नई दिल्ली, 27 मार्च 2024।
28. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां' : मॉडयूल–2, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपन, स्कूलिंग, https://www.nios.ac.in पेज संख्या 41–42।
29. भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम : श्रम व रोजगार महानिदेशालय, भारत सरकारः https://dge.gov.in।
30. भारतीय संसद डिजिटल लाईब्रेरी : https://www.eparlib.nic.in, 8 February, 2019।

❖◆❖